

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार को आगामी सत्र के लिये उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 4 में वर्णित परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम क0लेखाकार	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय	परीक्षा का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	सत्येन्द्र कुमार शर्मा	तहसील, दौसा	Rajasthan State certificate Course in Information Technology	

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान हो तो स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- 2 कार्मिक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो भी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन काल में किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन का अधिकार नहीं होगा एवं इनका स्थानान्तरण किसी भी अन्यत्र स्थान पर किया जा सकेगा।
- 7 अध्ययन से दैनिक राजकीय कार्य में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिये अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

निदेशक 24.10.11

दिनांक

क्रमांक एफ4(ई)एस-88/94/अलेसे-III/8551-53

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 तहसीलदार, दौसा
- 2 निजी सहायक निदेशक कोष एवं लेखा
- 3 श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा क0लेखाकार कार्यालय तहसील, दौसा
- 4 निजी/गार्ड फाईल
- 5 कम्प्यूटर अनुभाग[विबसाइट हेतु]

संयुक्त निदेशक (कार्मिक- II)